



बिहार सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार  
(समाज कल्याण विभाग)



द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना-800001  
फोन: +91-612-2520960, फैक्स: +91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

पत्र संख्या :- ICDS/10036/11-2018..... 5994 दिनांक 31/12/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.  
निदेशक,  
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,  
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय :- समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 से निर्गत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-2/2014-CD.1 दिनांक 15.09.2015 द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से प्रोन्नति द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का निदेश है।

साथ ही विषयांकित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 की कंडिका-IV विशेष अर्हता "अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी" वर्तमान में विचाराधीन थी।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया गया -

क्र.	धारा/ नियमावली संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	कंडिका- (iv) 1 (क)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।

<p>कंडिका- (viii) 1 (क)</p>	<p>रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र, संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।</p> <p>75 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।</p>	<p>रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।</p> <p>50 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।</p>
<p>कंडिका- (viii) 5 (ड.)</p>	<p>आंगनवाड़ी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>शेष यथावत।</p>	<p>आंगनवाड़ी सेविका के लिए 50 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>शेष यथावत।</p>
<p>2. कंडिका- (vi)</p>	<p>विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी</p>	<p>विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।</p>

विश्वासभाजन

*(Signature)*  
28/11/21/18  
(आलोक कुमार)

निदेशक

